

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर, नागौर

शारदा vs भारत संघ वगैरे

तारीख हुक्म	मं० प्रार्थना पत्र सं० - 51/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज JCMS - 2022/62	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18/8/22	वकुलाय ने Adv श्री रमधन विश्नोई का निधन हो जाने से न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। P.O लाइब पुशासनिद कार्रों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14/9/22 को पेश हो। <u>19/9/22</u>	
14/9/22	वकुलाय उपरी श्रीमान P.O लाइब पुशासनिद कार्रों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/9/22 को पेश हो। <u>19/9/22</u>	
21/9/22	<p>वकुलाय उपस्थित। राजपैरोकार ने भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-158/2017 श्रीमती शारदा बनाम भारत संघ वगैरे में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2022 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो शा0मि0 हो। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है, का कथन करते हुए नोट प्रेस किया है। अतः वकील प्रार्थी के कथन कि वह प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है एवं वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस किये जाने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">✓ (पीयूष समारिया) मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर, नागौर</p>	Not filed Dulhu